न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3148–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–7–15 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण कमांक 206/अपील/2014–15.

1– अमृतलाल पिता स्व. श्री ठाकुरदास
2– हीरालाल पिता स्व. श्री ठाकुरदास
3– छगनलाल पिता स्व. श्री ठाकुरदास
निवासीगण मालवीय वार्ड, इतवारा
शहर व जिला बुरहानपुर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– शशिकलाबाई पति स्व. श्री चिमनलाल
2– वासुदेव पिता स्व. श्री चिमनलाल
निवासीगण मालवीय वार्ड, इतवारा
शहर व जिला बुरहानपुर .....अनावेदकगण

श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री दीपक पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/8//6 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–7–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक कमांक 1 एवं 2 सहित गोदावरीबाई द्वारा तहसीलदार, बुरहानपुर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम फतेहपुर तहसील व जिला बुरहानपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 143/1

रकबा 1.100 हेक्टेयर ठाकुर दास व चिमनलाल के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है । ठाकुर दास एवं चिमनलाल की मृत्यु हो गई है, अतः वारिसाना नामांतरण किया जाये । तहसीलदार द्वारा नामांतरण पंजी की प्रविष्टि कमांक 28 पर दिनांक 23–7–2012 को आदेश पारित कर वारिसाना नामांतरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बुरहानपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभगीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17–3–2015 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 23–7–2012 निरस्त किया जाकर आवेदकगण का नाम कम किया जाकर अनावेदक कमांक 1 का नाम यथावत रखते हुए अनावेदक कमांक 2 वासुदेव का नाम भी प्रश्नाधीन भूमि पर राजस्व अभिलेखों में अंकित किये जाने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22–7–15 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदिका कमांक 1 शशिकलाबाई के नाम वारिसाना नामांतरण स्वीकृत किया गया है, इसके बावजूद प्रथम अपील में अनावेदिका कमांक 1 द्वारा अनावेदक कमांक 2 वासुदेव के साथ मिलकर संयुक्त रूप से अपील प्रस्तुत की गई है, और वासुदेव का नाम दत्तक पुत्र होने के नाते दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष अनावेदकगण की ओर से दत्तक पुत्र होने के संबंध में दस्तावेजों का न तो परीक्षण किया गया है, और न ही साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है, जबकि संहिता की धारा 49 में हुए संशोधन के फलस्वरूप साक्ष्य लेने की आवश्यकता है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक आदेश है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि पर बिना दत्तक पुत्र होना प्रमाणित किये वासुदेव का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर आवेदकगण का नाम विलोपित करने में दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा घोर अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, क्योंकि संयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति से नाम विलोपित करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है ।

(3) यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि वासुदेव दत्तक पुत्र है, तब अधिक से अधिक आवेदकगण के साथ अनावेदक कमांक 2 वासुदेव का नाम दर्ज करना चाहिए था, परन्तु आवेदकगण का नाम पृथक नहीं किया जा सकता था ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी चिमनलाल की मृत्यु उपरान्त उसकी एकमात्र विधवा अनावेदिका कमांक 1 को प्रश्नाधीन भूमि पर नामान्तरण कराने का अधिकार है ।

(5) विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश पारित होने के पूर्व अनावेदिका कमांक 1 द्वारा वासुदेव को गोदी पुत्र होने के संबंध में कोई कथन नहीं किये गये हैं, ऐसी स्थिति में वासुदेव को गोदी पुत्र बताते हुए अनावेदिका कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील प्रचलन योग्य नहीं थी, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(6) अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की गई थी, और विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया था, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जानबूझकर अनावेदकगण को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से आदेश पारित किया गया है ।

(7) तथाकथित गोदी पुत्र वासुदेव अनावेदिका कमांक 1 एवं उसके पति चिमनलाल का गोदी पुत्र है अथवा नहीं यह सिद्ध करने का भार अनावेदिका कमांक 1 पर था, परन्तु उसके द्वारा गोदी पुत्र होना सिद्ध नहीं किया गया है ।

(8) अनावेदकगण की ओर से लिखित तर्क के साथ जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, वे विधिक प्रकिया के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण मान्य किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि अनावेदकगण की ओर से यदि कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये जाना था, तब उन्हें व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना चाहिए था ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण के पूर्वज द्वारा अपने जीवनकाल में भूमि विकय करने के पश्चात उसके स्वामित्व की मात्र 0.5 डिसमिल भूमि शेष रही थी, इसके बावजूद भी ठाकुर दास द्वारा

उससे अधिक भूमि 1.00 एकड़ का विक्रय दिनांक 21–2–1984 को कर दिया गया है, जो कि विधि विरूद्ध कार्यवाही है ।

(2) ठाकुर दास द्वारा अधिक भूमि विक्रय कर दिये जाने के कारण अनावेदकगण के पूर्वज चिमनलाल द्वारा व्यवहार न्यायालय में व्यवहार वाद कमांक 96 ए/2000 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 1–5–2002 को आदेश पारित कर अनावेदकगण के पक्ष में निर्णय दिया गया गया है, और उक्त निर्णय की अपील आवेदकगण द्वारा नहीं किये जाने से वह अंतिम होकर प्रभावशील है । उक्त व्यवहार वाद में आवेदकगण के पक्षकार रहने के कारण उनकी जानकारी में यह तथ्य है कि प्रश्नाधीन भूमि के एकमात्र मालिक अनावेदकगण के पूर्वज चिमनलाल है, इसके बावजूद भी उनके द्वारा कूटरचित ढंग से नामांतरण करा लिया गया था, जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(3) नामांतरण कार्यवाही में विधिवत उद्घोषणा का प्रकाशन नहीं किया गया है, और अनावेदिका कमांक 1 के कूटरचित हस्ताक्षर कर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । अनावेदिका कमांक 1 के पति एवं अनावेदक कमांक 2 के पिता का जो मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह भी फर्जी है । अनावेदक कमांक 2 को स्व. चिमनलाल द्वारा सामाजिक रीति रिवाज से दत्तक पुत्र ग्रहण किया गया है, इसलिए वह चिमनलाल का विधिक वारिस है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदकगण सहित अनावेदिका कमांक 1 द्वारा वारिसाना नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, और तहसीलदार द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 28 पर दिनांक 23–7–2012 को वारिसाना नामांतरण आदेश पारित किया गया है, उक्त नामांतरण के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा लगभग डेड़ वर्ष से भी अधिक समय पश्चात अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है, इससे ऐसा परिलक्षित होता है कि अनावेदकगण द्वारा बाद की सोच के कारण तहसील न्यायालय के नामांतरण आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई है । आवेदकगण सहित अनावेदिका कमांक 1 द्वारा नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से तहसीलदार द्वारा पारित आदेश सहमति से पारित आदेश मान्य किया जायेगा । इस संबंध में 2014

आर.एन. 220 में इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि सहमति से पारित आदेश के विरूद्ध अपील नहीं होगी । अतः उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टांत के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी को इसी आधार पर प्रथम अपील निरस्त करना चाहिए थी । जहां तक प्रकरण के गुण–दोष का प्रश्न है, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना साक्ष्य से अनावेदक कमांक 2 वासुदेव को दत्तक पुत्र प्रमाणित मानकर उसका नाम प्रश्नाधीन भूमि पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का आदेश दिया गया है, जो कि वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण का नाम बिना किसी आधार के प्रश्नाधीन भूमि से कम किया गया है, और आवेदकगण का नाम कम करने का कारण भी अपने आदेश में नहीं दर्शाया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य है, और चूंकि अपर आयुक्त द्वारा अति संक्षिप्त प्रकृति का आदेश पारित किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है, इसलिए उनका आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–7–15 एवं अनुविभागीय अधिकारी, बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–3–2015 निरस्त किये जाते हैं तथा तहसीलदार, बुरहानपुर द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 28 में पारित आदेश दिनांक 23–7–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर